फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कल्याण सिंह बनाम शांतिदेवी

किस्म मुकदमा ....225.आर.टी.एक्ट.......... मुकदमा नंबर..........91..................सन..............2022...........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.08.2022	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा मुकदमा संख्या 351/2021 बउनवान शांति देवी बनाम कल्याण सिंह में पारित आदेश दिनांक 13.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सरहद ग्राम सवराड के खसरा नम्बर 1078 रकबा 8.6501 हैक्टर कृषि भूमि के संबंध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया, साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट को अपने हिस्से की खातेदारी भूमि को बिना विभाजन के विक्रय करने का पूर्ण रूप से कानूनी अधिकार है। केवल एक सह–खातेदार को अपने हिस्से की भूमि को हिस्सा विशेष के रूप में विक्रय करने से रोका जा सकता है, इसके अलावा सामलाती भूमि में अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने से न तो रोका जा सकता है और न ही कानूनन इस संबंध में निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रकरण में इन हालातो में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति स्थगित की जावे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अत सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा मुकदमा संख्या 351/2021 बउनवान शांति देवी बनाम कल्याण सिंह में पारित आदेश दिनांक 13.05.2022 में आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में उभयपक्ष मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा अपने हिस्से की भूमि को हिस्सा विशेष के रूप में बेचान/हस्तांतरण नहीं करे। तद्नुसार सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 351/2021 बउनवान शांति देवी बनाम कल्याण सिंह के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना करते हुए उभयपक्षों को सुनकर 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु नम्बर से कम हो।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली